

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 जनवरी 2004—माघ 7, शक 1935

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्र.एफ 2(अ) 51-2013-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, “मध्यप्रदेश पुलिस ग्रंथपाल सेवा में भर्ती तथा पदोन्नति” से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पुलिस ग्रंथालय सेवा भर्ती नियम, 2013 है.  
(2) ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;
2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - (क) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
  - (ख) “समिति” से अभिप्रेत है, चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति;
  - (ग) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;
  - (घ) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
  - (ङ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

- (च) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (छ) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ज) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (झ) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8 5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ञ) “सेवा” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पुलिस ग्रंथालय सेवा;
- (ट) “राज्य” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- (एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;
- (दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
- (तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे:

परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, स्थाई या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, साक्षात्कार द्वारा या दोनों द्वारा;
- (ख) अनुसूची-चार के कालम (2) में दर्शाए गए सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,
- (ग) विनिर्दिष्ट सेवाओं में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के स्थानांतरण या संविलियन या प्रतिनियुक्ति द्वारा.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) तथा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, सेवा में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके से भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार से परामर्श करके अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के सामान्य प्रसरकार विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न, ऐसे तरीके अपना सकेगा जिसे वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें।

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.—सीधी भर्ती के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना होंगी, अर्थात् :—

(1) आयु.—

- (क) उसने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उसने अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी नहीं की हो,
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,
- (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं अथवा मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, अर्थात्:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी:

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्त कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो;

**स्पष्टीकरण.**—शब्द “छंटनी किया गया सरकारी सेवक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई प्रतिरक्षा सेवा की संपूर्ण कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा,

परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण.**—पद “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा था और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो;

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया हो; और जो—

(क) अल्पकालिक वचनबद्ध पूर्ण होने के पश्चात् ; या

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर;

सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं रहे।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी;

(ङ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारकों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के उच्च जाति के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) “विक्रम पुरस्कार” धारक अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

- (झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो, मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;
- (ञ) नगरसेना (होमगार्ड) एवं नान-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनकी आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ट) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी;

**टिप्पणी—**(1) (क) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त नियम 8 (1) (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाये गए हों, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले या उसके बाद वे सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं. तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में यह आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी.

(ख) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

**टिप्पणी—**(2) प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी. अधिकतम आयु सीमा की गणना परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12/1/3, दिनांक 3-11-2012 एवं 20-11-2012 के अनुसार की जाएगी.

- (2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो अनुसूची तीन के कालम (6) में दर्शाई गई है.
- (3) **शारीरिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएं होनी चाहिए :—
- (क) ऊंचाई 162 से.मी. या अधिक (केवल पुरुषों के लिए)  
152 से.मी. अधिक (केवल महिलाओं के लिए)
- (ख) अभ्यर्थी को मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए.
- (ग) अभ्यर्थी में “नोक-नी”, “फ्लेट फुट” एवं कोई दृष्टिदोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सीय रूप से योग्य होना चाहिए.

(4) **फीस.**—अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**—(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जाएगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(3) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के प्रारूप में गलत जानकारी देने या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाने पर उसे अनर्ह समझा जाएगा। ऐसा कृत्य करने पर अभ्यर्थी को सरकार के अधीन नियुक्ति (नियोजन) में या सेवा में निरन्तर बने रहने का अधिकार नहीं होगा तथा उसकी सेवा तत्काल, बिना कोई सूचना दिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसा मामला लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.—परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के संबंध किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.—(1) (एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा समय-समय पर सरकार से परामर्श करके आयोजित की जाएगी।

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 14 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की नियुक्ति हेतु उसी क्रम से विचार किया जाएगा, जिस क्रम से उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हों।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रसरकार में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यथास्थिति, उपनियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) सामान्य प्रसरकार विभाग के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो ऐसी शेष रिक्तियाँ, सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी तथा रिक्तियाँ आगामी चयन के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

12. **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करे और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, सरकार को अग्रेषित करेगा जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किंतु जो प्रसरकार में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं. योग्यता के क्रम में एक सूची तैयार करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित भी की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उन्हें नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चयन सूची उसके जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी.

13. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु अनुसूची-चार के कालम (5) में उल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी:

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों से भिन्न नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा .

(2) अनुसूची-चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुसूची-चार के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट पद पर अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

(3) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन**—नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है और उसे उक्त अधिनियम के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

(4) समिति ऐसे अन्तरालों पर, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देशित करे, किन्तु सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक में अपनी बैठक करेगी.

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**—(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पदोन्नतियां करने की प्रक्रिया केवल इन नियमों के अनुसार होगी.

(2) उपनियम (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर जैसा कि अनुसूची चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट है जिससे पदोन्नति की जानी है, कम से कम पांच वर्ष की सेवा, चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में पूर्ण कर ली हो और नियम, 14 के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना.**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम, 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से आगामी एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति से होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार “ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता” (सीनियरटी-सबजेक्ट्स टू फिटनेस) पर आधारित होगा।

(3) प्रत्येक चयन सूची को तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के नाम, अनुसूची चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के मापदंड के क्रम में रखे जाएंगे।

**स्पष्टीकरण :**— (1) ऐसे किसी व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही, उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्पूर्वी चयन में विचार किया गया हो, ज्येष्ठता का दावा नहीं होगा।

(2) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(3) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण करना प्रस्तावित किया जाता है तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।

17. **चयन सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगी।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की जानकारी समिति को देगा और समिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, सूची ऐसे उपांतरणों के साथ यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत तथा उचित हो, अन्तिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची-के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची, नियम, 16 के उप नियम (3) के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार, 12 मास की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या उसके कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति यदि उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की पदों पर नियुक्तियां, उसी क्रम से की जाएगी, जिस में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों।

(2) उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना साधारणतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गयी हो जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो, जिसके कारण वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो।



19. **परिवीक्षा.**—पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

20. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो. कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस लिए कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अधीन उपलब्ध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची—एक

( नियम 5 देखिए )

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पद संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	नियुक्त प्राधिकारी (6)
1	निरीक्षक (वरिष्ठ ग्रंथपाल)	2	राज्य पुलिस सेवा अकार्यपालिक (अल्पिकीय) तृतीय श्रेणी	रु. 9300-34800+ रु. 4200/-	पुलिस महानिरीक्षक.
2	सूबेदार (ग्रंथपाल)	5	-तदैव-	रु. 9300-34800+ रु. 3600/-	पुलिस महानिरीक्षक.
3	सहायक उप निरीक्षक सहायक ग्रंथपाल.	18	-तदैव-	रु. 5200-20200+ रु. 2400/-	उप पुलिस महानिरीक्षक.
4	प्रधान आरक्षक ग्रंथालय सहायक.	3	-तदैव-	रु. 5200-20200+ रु. 2100/-	पुलिस अधीक्षक/ सहायक महानिरीक्षक.
5	आरक्षक (ग्रंथालय परिचारक)	15	-तदैव-	पी.बी-1 रु. 5200-20200+ रु. 1900/-	— " —

अनुसूची—दो  
(नियम 6 देखिए)

अनु- क्रमांक	विभाग का नाम	सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत नियम 6(1) (क) (5)	सेवा में कार्यरत सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, नियम 6 (1) (ख) (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश.	निरीक्षक (वरिष्ठ ग्रंथपाल)	2	निरंक	100 प्रतिशत
2		सूबेदार/(ग्रंथपाल)	5	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत
3		सहायक उप निरीक्षक (सहायक ग्रंथपाल)	18	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
4		प्रधान आरक्षक (ग्रंथालय सहायक)	3	निरंक	100 प्रतिशत
5		आरक्षक (ग्रंथालय परिचारक)	15	100 प्रतिशत	-

अनुसूची—तीन  
(नियम 8 देखिए)

अनु- क्रमांक	सेवा का नाम	पद का नाम	न्यून आयु सीमा	अधि. आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश.	सूबेदार (ग्रंथपाल)	21	40	(अ) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा; (ब) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रंथालय विज्ञान में स्नातक उपाधि.
2		सहायक उप निरीक्षक (सहायक ग्रंथपाल)	21	40	(अ) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा; (ब) मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से ग्रंथालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा स्नातक.
3		आरक्षक (ग्रंथालय परिचारक)	21	40	(अ) हायर सेकेण्डरी 10+2 पद्धति से 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (ब) ग्रंथालय विज्ञान में मान्यताप्राप्त संस्थान से डिप्लोमा अथवा समतुल्य ग्रेड.

अनुसूची—चार  
(नियम 15 देखिए)

अनु- क्रमांक	पद, जिससे पदोन्नति की जाना है	पद, जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति/भर्ती समिति का गठन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सूबेदार/(ग्रंथपाल)	निरीक्षक (वरिष्ठ ग्रंथपाल)	8 वर्ष	पुलिस महानिरीक्षक, अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश द्वारा नाम निर्देशित दो सदस्य.
2	सहायक उप निरीक्षक (सहा. ग्रंथपाल)	सूबेदार (ग्रंथपाल)	5 वर्ष	
3	प्रधान आरक्षक, (ग्रंथालय सहायक)	सहायक उप निरीक्षक (सहायक ग्रंथपाल)	5 वर्ष	
4	आरक्षक (ग्रंथालय परिचारक)	प्रधान आरक्षक, (ग्रंथालय सहायक)	5 वर्ष	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्र. एफ 2(अ) 51-2013-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय शर्मा उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2014

No. 2(a) 51-2013-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment and promotion in the “Madhya Pradesh Police Library Service, namely:—

RULES

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Police Library (Class III Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) “Appointing Authority” in respect of the Service, means the authority as specified in Schedule-I;

- (b) "Committee" means the selection Committee/Departmental Promotion Committee;
- (c) "Examination" means the competitive examination conducted under rule 11 of these rules;
- (d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (f) "Schedule" means the Schedules appended to these rules;
- (g) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race, tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (h) "Scheduled Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe, tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification number-F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time.
- (j) "Service" means the Madhya Pradesh Police Library (Class III Non-Ministerial Service).
- (k) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

- (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding in an officiating capacity or substantively the post specified in Schedule-I;
- (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of pay etc.**—The classification of Service, the number of the posts included in the Service and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule I :

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of the posts included in the Service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**—(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

- (a) By direct recruitment, by selection through competitive examination, by interview or both;
- (b) By promotion of such members of Service, as shown in column (2) of Schedule-IV;
- (c) By transfer or Deputation or absorption of persons appointed to the Specified posts in Specified Services.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage mentioned in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods for the purpose of filling any vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined by the appointing authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the appointing authority, the exigencies of the Service so require, the appointing authority may, after approval of the Government in the General Administrative Department, adopt such methods recruitment to the service, other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

**7. Appointment to the Service.**—All appointments to the Service after coming into force of these rules shall be made by appointing authority and no such appointment shall be made except after by one the methods of recruitment specified in Rule 6.

**8. Conditions of eligibility for direct recruitments.**—In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(1) **Age.**—

- (a) He must have attained the age as specified in column (4) of Schedule III and not have attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of commencement of the examination.
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe.
- (c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government, to the extent and subject to the conditions specified below:—
  - (i) A candidate, who is permanent Government Servant, should not be more than 45 years of age;
  - (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees, and employees working in Project Implementation Committee;
  - (iii) A Candidate, who is retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

**Explanation.**—The term “Retrenched Government Servant” denote a person, who was in temporary service of the State or any of the constituent units for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

- (iv) A candidate who is an Ex-Serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence services previously rendered by him:

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

**Explanation.**—The term “Ex-Serviceman” denotes a person, who belongs to any of the following categories and who was employee under the Government of India, for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service.—

- (1) Ex-Serviceman released under mustering out concessions.
- (2) Ex-Serviceman recruited for the second time and who were discharged on—
  - (a) Completion of short term engagement;
  - (b) Fulfilling the condition of enrolment;
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officers;
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (6) Ex-Servicemen invalidated out of service;
- (7) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.
- (d) The upper age shall be relaxable in case of women candidate in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special provisions for appointment of Women) Rules, 1997;
- (e) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of the widow, destitute and divorced women candidates;
- (f) The upper age limit shall also be relaxable upto a two years in respect of green card holder under the Family Welfare Programme;
- (g) The General upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partners of a couple under the inter caste marriage incentive Programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department;
- (h) The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of candidates holding “Vikram Award”;
- (i) The upper age limit shall be relaxable up to 45 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporations/Boards;
- (j) The upper age limit shall be relaxable up to 45 years for Home Guards and Non-commissioned officers;
- (k) The upper age limit shall be relaxable to the disabled candidates, as per the orders/direction issued by the State Government from time to time.

**Note.—**(1) (a) Candidates who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in rule 8 (1) (c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from the service either before or after examination/selection. They will, however, continue to be eligible. If they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case will these age limits be relaxed.

(b) Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the examination/selection.

**Note.—**(2) The total relaxed period for every category shall be such which shall not exceed the upper age limit of 45 years. The maximum age shall be calculated in accordance with the circular No. C-3-11/12/1/3 dated 03-11-2012 and 20-11-2012.

(2) **Educational Qualifications.—**The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III column-6.

(3) **Physical Qualifications.—**Candidate must have the following physical qualification:—

(a) Height : 162 cms or more (for male only)

152 cms or more (for female only)

(b) Candidate should not be mentally or physically handicapped.

(c) Candidate should not have “Knock-Knee”, “Flat Foot” and should not have any vision defect and should be medically fit.

(4) **Fees.—**The candidates must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.—**(1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his/her candidature by means may be treated as disqualification by the Appointing Authority for appearing in the examination/interview.

(2) No person shall be eligible for appointment to service or post, who has more than two living children, one of whom is born on or after 26<sup>th</sup> January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a Service or post, who has already one “living child and next” delivery takes place on or after 26th January, 2001, in which two or more than two children are born.

(3) Giving wrong information or hiding of any factual information in application form by the applicant shall be deemed to be a disqualification, On such act the candidate shall have no right of appointment or continue in service under the Government and his service shall be terminated forthwith by the Appointing Authority without giving any notice.

(4) No candidates shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(5) No candidates shall be eligible for appointment to any service or post, who has been convicted for an offence against the women:

Provided that if case is pending in a court against him, his case, of appointment shall be kept pending till the final decision of the Court.

**10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates should be final.**—(1) The decision of the Appointing Authority regarding the eligibility of otherwise of a candidate for admission to the examination / interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be admitted to the examination/selection/interview.

**11. Direct recruitment by competitive examination.**—(i) The Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as Appointing Authority may, from time to time, determine.

(ii) The competitive examination shall be held by the Appointing Authority in consultation with Government from time to time.

(2) There shall be 16 percent and 20 percent reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 14 percent for Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon, Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.

(3) There shall be reserved psots for women candidates, in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are member of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved to the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be, under sub-rule (2).

(6) There shall be reserved posts for ex-serviceman in accordance with the direction of General Administration Department.

(7) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them; without obtaining previous approval of the Government, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates and the vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for next selection.

**12. List of candidates recommended by the Appointing Authority.**—(1) The Appointing Authority shall prepare and forward a list to the Government arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as determined by the Appointing Authority and the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, and are declared by the Appointing Authority, to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of the candidate's name in the select list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The select list issued by the Appointing Authority shall remain valid for a period of one year from the date of issue.



13. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on the probation for a period of two years.

14. **Appointment by Promotion.**—(1) There shall be constituted a Committee consisting of members mentioned in column (5) of Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates :

Provided that if the nominated members other than the members presiding the Departmental Promotion Committee/Screening Committee in respect of the post to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion / screening committee.

(2) For promotion of the members of the service specified in column (2) of Schedule-IV, to the post as specified in column (3) thereof, the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with provision as specified Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.

(3) Certification by the appointing authority.- Appointing Authority shall endorse on the promotion orders to be issued by him a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhde Vargon Ke Liye Arakshan) Adhinyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002 and instructions issued in the light of the provisions of the said Act and rules made by the State Government and that he has full cognizance of provisions of the said Act.

(4) The Committee shall meet at such intervals as the Appointing Authority may direct but ordinarily not exceeding one year.

15. **Condition of eligibility for promotion.**—(1) Without prejudice to the generality of the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (General conditions of service) rules, 1961 and Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002, the procedure for making promotions shall be in accordance with these rules only.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1), the Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed not less than Five years of service whether substantively or in officiating capacity on the post from which promotion is to be made as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of rule 14.

16. **Preparation of list of suitable candidates.**—(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The criteria for preparation of select list shall be based on “seniority subject to fitness” as per provisions of the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) rules, 2002.

(3) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV, at the time of preparation of each select list.

**Explanation.**—(1) The person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(2) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(3) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed suppression.

17. **Select List.**—(1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by Committee along with other documents received from the Committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, he shall inform the Committee of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the committee, may approve the list finally with such modifications, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of the Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of said Schedule.

(4) The select list shall be valid for a period of 12 months from the date of approval as provided under sub rule (3) of rule-16, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation;

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review in the select list may be made at the instance of the appointing authority and the Departmental Promotion committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the Service from Select List.**—(1) Appointment of the persons included in the select list to the posts shall follow the order, in which the names of such persons appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before the appointment of a person whose name is included in the select list, in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. **Probation.**—Every person appointed to the service by promotion shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government, whose decision, thereon shall be final.

21. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner, as may appear to it to be just and equitable :

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. **Saving.**—Nothing in these rules shall adversely affect the reservations and other conditions required to be made available under the orders issued by the Government with respect to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

23. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these rules in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed and in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I  
(Vide Rule 5)

**Classification, Pay Scales and Number of Posts included in the service**

S. No.	Name of the Post included in the Service	No. of the Posts	Classification	Scale of Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Inspector (Senior Librarian)	2	State Police Service (Non-Ministerial Class-III)	Rs. 9300-34800+4200	Inspector General of police
2	Subedar (Librarian)	5	-do-	Rs. 9300-34800+3600	—”—
3	Assistant Sub Inspector (Assistant Librarian)	18	-do-	Rs. 5200-20200+2400	Deputy Inspector General of police
4	Head Constable (Library Assistant)	3	-do-	Rs. 5200-20200+2100	Superintendent of Police/ Assistant Inspector General of Police
5	Constable (Library Attendent)	15	-do-	Rs. 5200-20200+1900	

SCHEDULE-II  
(Vide Rule 6)

S. No.	Name of the Department	Name of the Post	Total No. of sanctioned Post	By Direct recruitment Rule 6(1)(a)	By promotion of the members of the Service Rule 6(1)(b)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Home (Police) Department, Madhya Pradesh	Inspector (Senior Librarian)	2	-	100%
2		Subedar (Librarian)	5	60%	40%
3		Assistant Sub Inspector (Assistant Librarian)	18	50%	50%
4		Hd. Const. (Library Assistant)	3	-	100%
5		Constable (Library Attendent)	15	100%	-

SCHEDULE-III  
(Vide Rule 8)

S. No. (1)	Name of the Department (2)	Name of Service of Post (3)	Minimum age limit (4)	Maximum age limit (5)	Educational Qualifications (6)
1	Home (Police) Department, Madhya Pradesh	Subedar (Librarian)	21	40	a. A Bachelor's Degree from any recognized university and; b. A Degree in library Science from a recognized university by UGC.
2		Assistant Sub Inspector (Assistant Librarian)	21	40	a. A Bachelor's Degree from any recognized university and; b. A Diploma or Degree in Library Science from any recognized institution/ university.
3		Constable (Library Attendent)	21	40	a. Higher Secondary, 12th passed by (10+2) pattern or equivalent exam. b. Diploma in Library Science from any recognized institution or its equivalent garde.

SCHEDULE-IV  
(See rule 15)

S. No. (1)	Name of Service of Post from which promotion is made (2)	Name of Service of post to which promotion is made (3)	Experience Required for promotion on (4)	Designations of the member of the Department Promotion/ Recruitment Committee (5)
1	Subedar (Librarian)	Inspector (Senior Librarian)	8 Years	Chairman-I.G. of Police Two Members Nominated by D. G. of Police
2	Assistant Sub Insp. (Assistant Lib.)	Subedar (Librarian)	5 Years	
3	Hd. Const. (Library Assistant)	Assistant sub Insp. (Assistant Librarian)	5 Years	
4	Const. (Library Attendent)	Hd. Const. (Library Assistant)	5 Years	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY SHARMA, Dy. Secy.